

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : अप्रिडार प. 5 (15) सम्पर्क/2016-17 /1732-4 जयपुर, दिनांक :- 8/12/16  
मैसर्स मर्करी कम्युनिकेशन डिजाईन प्रा0 लि0,  
पार्क सरोज, युधिष्ठिर मार्ग,  
सी-स्कीम जयपुर


विषय :- Comprehensive Communication design & Related  
Service हेतु सूचीबद्ध करने बाबत।

प्रसंग :- निविदा सूचना संख्या 17338 दिनांक 16.11.2016 एवं आपके प्रस्ताव  
दिनांक 05.12.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निविदा प्रस्तावों में आपकी वित्तीय निविदा प्रस्तावों  
को विभागीय निविदा अनुमोदन हेतु गठित समिति द्वारा Comprehensive  
Communication design & Related Service हेतु अनुमोदित करने के उपरान्त आपकी  
दरें आगामी एक वर्ष हेतु सूचीबद्ध की जाती है।

- शर्तें :- 1. निविदा में आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यानुसार दरों की दर संविदा एक वर्ष हेतु  
अनुमोदित कर वित्तीय नियमानुसार राशि 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प  
पर अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर कर नियमानुसार निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत  
सुरक्षा राशि सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा के वित्तीय प्रस्तावों में उल्लेखित कार्यों की दर संविदा अनुबन्ध की  
तिथि से एक वर्ष तक लागू होगी।
3. विभाग द्वारा प्रदत्त कार्यादेश के अनुसार समयावधि में कार्य सम्पादन अनिवार्य  
होगा।
4. कार्यादेश में निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादित नहीं करने पर सामान्य वित्तीय  
एवं लेखा नियमों के अनुसार लिक्विडिटी डेमरेज की राशि काट कर भुगतान  
किया जावेगा।
5. कार्यादेश में उल्लेखित कार्य आपकी फर्म/कम्पनी द्वारा सम्पादित/पूर्ण नहीं  
किये जाने पर बाजार से अन्य कोई एजेन्सी/फर्म से कार्य सम्पादन की स्थिति  
में किये गये अधिक भुगतान/क्षतिपूर्ति राशि की वसूली आपके बकाया  
बिल/सुरक्षा राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग को होगा।

संलग्न : कार्यानुसार अनुमोदित दरों की सूची  
(वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार)

  
निदेशक  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक सूजस विभाग।
3. निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
4. मुख्यलेखाधिकारी
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्र प्रचार शाखा,
6. उपनिदेशक (विज्ञापन)
7. प्रभारी अधिकारी ई.एन. जी.शाखा
8. लेखा शाखा (भुगतान)
9. गार्ड फाईल

  
मुख्यलेखाधिकारी